न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
RAS

अपील संख्या :– 07/2021

गंगादत्त पुत्र पन्नालाल यादव जाति अहिर निवासी ग्राम छारदडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत देवता जरिये सरपंच ग्राम पंचायत देवता पं0स0 कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत देवता पं0स0 कोटपूतली जिला जयपुर (राज0)

अप्रार्थीगण्

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध प्रस्ताव जिसके द्वारा प्रार्थी को ग्राम पंचायत देवता द्वारा ग्राम छारदडा में स्वयं की भूमि को अतिक्रमण जाहिर करते हुये बेदखन करने की कार्यवाही की जा रही है।

निर्णय

दिनांक 11.8.2021

प्रार्थी द्वारा पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायतराज अधिनियम 1994 के तहत् प्रार्थी को स्वयं की भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही बाबत ग्राम पंचायत देवता द्वारा लिया गया प्रस्ताव के विरूद्ध पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्य निम्नभांति पेश किया है।

1. यह है कि प्रार्थी ग्राम छारदडा का मूल निवासी है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी हाल ख.नं. 214/0.3012, 214/1/0.0088, 215/0.12 कुल किता 3 रकबा 0.43 वाके मौजा छारदडा के खातेदार काश्तकार है तथा कदिमी से ही प्रार्थीअपनी उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है।
2. यह है कि प्रार्थी का एक गै.मु. गुवाडा ग्राम छारदडा में स्थित है जिसमें प्रार्थी अपने सिचाई व काश्त आदि के सामग्री रखता है तथा मौके पर कदिमी से ही 50 वर्गमीटर जमीन पर काबिज चला आ रहा है।
3. यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध राजनैतिक द्वेवश्ता वश अतिक्रमण की कार्यवाही कर रहे है जिस हेतु प्रार्थी ने अपना पक्ष रखने हेतु ग्राम पंचायत के सचिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र बाबत सम्पूर्ण कार्यवाही की नकल हेतु प्रस्तुत किया परन्तु आदिनांक तक प्रार्थी को उक्त प्रकरण की नकल उपलब्ध नहीं करायी गयी।
4. यह है कि प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपितु प्रार्थी का पुस्तैनी गुवाडा है जिसमें प्रार्थी अपने बुजुर्गान के समय से काबिज चला आ रहा है तथा प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा करवा पट्टा लेने हेतु तैयार है परन्तु ग्राम पंचायत

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

के सरपंच द्वारा राजनैतिक द्वेषतावंश प्रार्थी को बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है।

5. यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया उक्त प्रस्ताव के विरूद्व पुनरीक्षरण प्रार्थना–पत्र को सुनने एवं तैय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को है जो अन्दर मियाद पेश है तथा नियत कोर्ट फीस पर पेश है। अतः पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत देवता द्वारा ग्राम छारदडा में प्रार्थी के विरूद्व लिये गये प्रस्ताव को निरस्त कर प्रार्थी को उक्त गुवाडा का पट्टा जारी किये जाने के आदेश सादर् फरमावें।
6. प्रार्थी द्वारा जरिये वकील पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत् पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 17/3/2021 को जवाब पेश हुआ जो संलग्न पत्रावली है।
7. अप्रार्थीगण् की ओर से प्रस्तुत जवाब में विर्णत किया हे कि ग्राम छारदडा में श्री गंगादत्त पुत्र पन्नालाल यादव द्वारा गे0मु0 रास्ते पर अस्थाई अतिक्रमण किया गया है जिसे हटाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत देवता द्वारा प्रार्थी को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है जिसका जवाब नहीं दिया है के विरूद्व श्रीमान् न्यायालय में पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा खातेदारीका जिक किया हे। अतिक्रमण का मामला खातेदारी का ना होकर गै.मु. रास्ता ख.नं. 277 है। प्रार्थी द्वारा गै.मु. गुवाडा बताया है जबकि यह ख.नं. 277 गै.मु. रास्ता का है। प्रार्थी को ग्रा.पं. देवता द्वारा कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किया गया जबकि अपने पक्ष में उसका जवाब ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं किया तथा सचिव के समक्ष जवाब दे दिया गया है। प्रार्थी द्वारा कहा गया है कि कोई अतिक्रमण नहीं किया है। प्रार्थी का पुश्तैनी गुवाडा होना बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र में पट्टा मांगने की बात कही गयी है। उक्त खसरा गै.मु. रास्ता है, जिसका पट्टा नियमानुसार देय नहीं है। यह रास्ता मुख्यमार्ग है जो बनेठी बनार देवता एवं अन्य गांवों को मैन हाईवे नारनौल रोड से जोडता है। अतिक्रमण रास्ते के साथ पेयजल टंकी के पास ही राजकीय विद्यालय, अस्पताल RO Water केन्द्र भी स्थापित है। अतः ग्रा.पं. के विरूद्व दायर पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया है उसे खारिज फरमावे तथा ग्रा.पं. को अतिक्रमण हटाने के आदेश प्रदान करें।
8. यह है कि अप्रार्थीगण् को दिनांक 04/8/2021 को प्रकरण में बार–बार अवाज दिलायी गयी। आवाज दिलायी जाने के बाद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आये । पत्रावली वास्ते बहस 11/8/2021 नियत की गयी।
9. बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि प्रार्थी ग्राम छारदडा ग्रा.पं. देवता पं.सं. कोटपूतली का मूल निवासी है। प्रार्थी

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा कदिमी से ही खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। ग्राम छारदडा में गै.मु. गुवाडा प्रार्थी का स्थित है, जिसमें प्रार्थी अपने सिंचाई एवं काश्त आदि की सामग्री रखता है मौके पर 50 वर्गमीटर भूमि पर काबिज चला आ रहा है। ग्राम पंचायत देवता द्वारा प्रार्थी से द्वेषतावंश वश एवं राजनैतिक कारणों से नाजायज रूप से प्रार्थी का अतिक्रमण बताया जाकर उन्हें नोटिस दिया जाकर गैर कानूनी तरिके से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त अतिक्रमण की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रार्थी ने नकल चाही गयी किन्तु प्रार्थी को कोई नकल उपलब्ध नहीं करायी गयी जबकि प्रार्थी का कोई अतिक्रमण नहीं है। प्रार्थी का पुश्तैनी गुवाडा है जिसमें प्रार्थी अपने बुजुर्गान के समय से काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त गुवाडे का पट्टा नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है किन्तु ग्रा. पं. द्वेवश्ता वश प्रार्थी को बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है जो विधि संगत नहीं है। अतः प्रार्थी के विरूद्व ग्रा.पं. द्वारा लिया गया प्रस्ताव बाबत ग्राम छारदडा का निरस्त फरमावें तथा ग्राम पंचायत देवता प्रार्थी को पट्टा जारी करने के आदेश प्रदान करावें।

10. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्यन किया तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि प्रकरण प्रार्थी के विरूद्व लिया गया प्रस्ताव ग्रा.पं. देवता द्वारा अतिक्रमण बाबत कार्यवाही से सम्बन्धित है। पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत देवता द्वारा SPL/01, 7-1-2021 को प्रार्थी का पानी की टंकी के पास व आम रास्ते के पास अवैध अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया जाना पाया गया तथा इस बाबत स्मरण–पत्र नोटिस भी जारी किया जाना पाया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी ग्राम छारदडा का मूल निवासी है तथा पुनरीक्षण प्रा.पत्र में वर्णित भूमि के बुजुर्गान के समय से काबिज काश्तकार है। ग्राम छारदडा में प्रार्थी का गै.मु. गुवाडा स्थित है, जिसमें प्रार्थी अपने सिंचाई एवं काश्त की सामग्री रखता हे। प्रार्थी मौके पर 50 वर्गमीटर भूमि पर काबिज चला आ रहा है। ग्रा.पं. द्वारा राजनैतिक द्वेषतावंश वश प्रार्थी का नाजायज अतिक्रमण बताया जाकर उन्हें नोटिस दिया जाकर बेदखली की कार्यवाहीकी जा रही हे जिसकी नकल भी प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करायी गयी जबकि प्रार्थी का मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है अपितु प्रार्थी का पुश्तैनी गुवाडा है जो अपने बुजुर्गान के समय से काबिज चला आ रहा है जबकि पट्टा हेतु नियमानुसार प्रार्थी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी के विरूद्व प्रस्ताव लिया जाकर बेदखली की कार्यवाही की जा रही है उसे निरस्त कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पुनरीक्षण स्वीकार फरमावें।

अप्रार्थीगण् की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित किया है कि प्रार्थी गंगादत्त द्वारा गै.मु. रास्ते पर अस्थाई अतिक्रमण किया गया है जिसके लिए ग्रा.पं. देवता द्वारा उक्त

अति. जिला कलक्टर
कोटपुतली (जयपुर)

अतिक्रमण हटाने के लिए प्रार्थी को नोटिस जारी किये गये जिसका जवाब नहीं दिया। अतिक्रमण का मामला खातेदारी का ना होकर गै.मु. रास्ता 277 गै.मु. रास्ते का है। प्रार्थी ने अपना पुश्तैनी गुवाडा बताया है, जबकि यह ख.नं. 277 गै.मु. रास्ता का है। प्रार्थी द्वारा उक्त गै.मु. गुवाडा बाबत पट्टा चाहा गया है। उक्त ख.नं. 277 का हे जो नियमानुसार पट्टा देय नहीं है। उक्त रास्ता अन्य गांवों को मुख्य हाईवे से जोडता है। अतिक्रमण पानी की टंकी के पास है। इसके पास ही राजकीय विद्यालय अस्पताल RO Water केन्द्र भी स्थापित है। प्रार्थी द्वारा पुनरीक्षण प्रा.पत्र पेश किया है उसे खारिज किया जावे तथा ग्रा.पं. को अतिक्रमण हटाने के आदेश प्रदान करावें।

चूँकि प्रकरण में ग्राम पंचायत देवता द्वारा पानी की टंकी के पास व आम रास्ते के पास अवैध रूप से अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किये गये है तथा इस बाबत स्मरण–पत्र भी जारी होना पाया गया है। उक्त कार्यवाही के लिए ग्रा.पं. देवता से सम्पूर्ण प्रकरण की नकल चाही जाने पर नहीं मिलना वकील प्रार्थी ने जाहिर किया है। वकील प्रार्थी का अभिकथन है कि ग्राम छारदडा में प्रार्थी का गै.मु. गुवाडा स्थित है जिस पर बुजुर्गान के समय से काबिज है उसमें सिंचाई तथा कृषि सम्बन्धित सामग्री रखी जाती है। उक्त भूमि मौके पर 50 वर्गमीटर भूमि है जिसका नियमानुसार शुल्क जमा कराया जाकर पट्टा लेने को तैयार है। अप्रार्थीगण् द्वारा प्रस्तुत जवाब में वणि्रत किया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम छारदडा में गै.मु. गुवाडा बताया है वह ख.नं. 277 गै.मु. रास्ता है जिसमें ग्रा.पं. देवता को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है जब उक्त गै. मु. गुवाड़ा गै.मु. रास्ता ख.नं. 277 में स्थित है तो ग्राम पंचायत को गै.मु. रास्ते बाबत अतिक्रमण हटाये जाने का कोई अधिकार नहीं है। ग्रा.पं. केवल आबादी भूमि में ही अतिक्रमण बाबत कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त हे। इसलिए प्रार्थी के विरूद्व लिया गया प्रस्ताव तथा प्रार्थी के विरूद्व जारी नोटिस बाबत अतिक्रमण हटाने के नियम विरूद्व ग्रा.पं.द्वारा जारी किये है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

11. यह निर्णय आदिनांक 11.8.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)